



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-30-07-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्तगण उमेश यादव, को दहेज हत्या के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 280/2015, धारा- 498ए, 304बी भादवि ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त **उमेश यादव पुत्र स्व0 मोहन यादव निवासी नगवां थाना लंका वाराणसी** को थाना लंका पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 30-07-2024 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा-498ए भादवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार के अर्थदण्ड तथा धारा-304बी भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा धारा-4 डीपी एक्ट में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी